

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

34

प्रकरण क्रमांक / 2018 पुनरीक्षण

निगरानी-3260/2018/ग्वालियर/भू.श

1. नेहा जैन पुत्री डॉ. विष्णु कुमार जैन  
पत्नी श्री आशीष गुप्ता निवासी-जयपुर  
राजस्थान हाल 75 हैलीपेड कॉलोनी  
ग्वालियर

2. शैली जैन पुत्री डॉ. विष्णु कुमार जैन  
पत्नी ऋषि लशकरे निवासी नागपुर  
महाराष्ट्र हाल निवासी-75 हैलीपेड  
कॉलोनी ग्वालियर म.प्र.दोनो आवेदक  
द्वारा मु.आम डॉ.विष्णु कुमार जैन  
पुत्र स्व.श्री कपूर चन्द्र जैन  
निवासी-75 हैलीपेड कॉलोनी ग्वालियर

विरुद्ध

1. श्रीमती ज्योति गुर्जर पत्नी श्री सहाब  
सिंह निवासी ओहदपुर ग्वालियर
2. रॉयल गृहनिर्माण सहकारी समिति  
अध्यक्ष पंकज भूतडा पुत्र श्री दाऊ  
दयाल भूतडा निवासी चितेरा ओली  
लशकर, ग्वालियर म.प्र.

अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर वृत्त झांसी रोड़ द्वारा प्रकरण क्रमांक  
00047/2017-18/अपील में पारित आदेश दिनांक 14/03/2018 के विरुद्ध पुनरीक्षण  
अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं-

1. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं अभिलेख  
के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

28/5/2018  
3-7-18  
राजस्व मण्डल, भू.श. ग्वालियर



Belapurkar  
28-05-2018



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3260/2018/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-11-2018	<p>आवेदकगण की ओर से श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक उपस्थित । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 13-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । तब तक इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन यथावत बढ़ाया जाता है ।</p> <p></p>	<p> अध्यक्ष</p>